

7/1/19 वकुलाथ डप.। साक्ष्य हेतु वादी वकील द्वारा मौका चाहा। न्यायदिवस में मौका दिया गया। पत्रा. वाले साक्ष्य वादी दि. 5/2/19 को पेश हो।

4/2/19 वकुलाथ डप.। वादी वकील द्वारा साक्ष्य हेतु मौका चाहा। न्यायदिवस में मौका दिया गया। पत्रा. वाले साक्ष्य वादी दिनांक 11.3.19 को पेश हो।

11.3.19 वकुलाथ डप.। वादी वकील द्वारा साक्ष्य हेतु मौका चाहा। न्यायदिवस में मौका दिया गया। पत्रा. वाले साक्ष्य वादी दि. 15/4/19 को पेश हो।

15/4/19 पत्रावली पेश हुई। कानून की दृष्टि से अधिकारी का संकेत बाहर की ओर में तारीख 13/5/19 को पेश करने के लिए पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13/5/19 को पेश हो।

13/5/19 वकुलाथ डप.। वादी वकील द्वारा साक्ष्य हेतु मौका चाहा। न्यायदिवस में मौका दिया गया। पत्रा. वाले साक्ष्य वादी दि. 21/6/19 को पेश हो।

21.6.19 पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी को न्याया. समय तक रुक-रुक कर तीन बार आवाज दिया जाई जाने पर भी अनु. रहने के बाद वादी अदालत हाजिरी अदालत फंक्सी में खारिज किया जाता है। पत्रा. कैलेंडर शुमार होकर बाद तकमील दाखिल स्थल हो।